न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 134/2025 **GCMS NO – 2025/260**

फैलीराम मीणा पुत्र श्री कानाराम मीणा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 02.07.2025 तहसीलदार सांगानेर द्वारा खोला गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्रीरामाअवतार प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर जयपुर सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः 16.01.2026

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सांगानेर के निर्णय 02.07.2025 जिससे नामान्तरकरण संख्या 142 वाके ग्राम बाढ श्योपुर, तहसील सांगानेर स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 10.12.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। रेस्पा0 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तकरण की ऑनलाईन छायाप्रति उपलब्ध है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन आराजीयात वाके ग्राम बाढ श्योपुर तहसील सांगानेर में स्थित है जो अपीलांट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसके 1/2 भाग का अपीलांट वर्तमान मालिक, स्वामी, काश्तकार है। उक्त आराजीयात अपीलांट के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त आराजीयात का अपीलांट ने किसी दीगर व्यक्ति, संस्था इत्यादि को बेचान, इकरारनामा, दान या अन्य किसी माध्यम से बेचान नहीं किया है। दिनांक 06.03.2025 को रेस्पाडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलांट को उसका पक्ष रखने का मौका दिये बगैर ही दिनांक 06.06.2025अर्थात प्रार्थना पत्र पेश होने से तीन के भीतर किसी प्रकार की सुनवाई किये बगैर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 177 के तहत अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि को सरकारी सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये। अपीलांट संयोगवश जून माह में किसी कार्य से अपनी भूमि की जमाबन्दी निकलवाने हेतु तहसील सांगानेर में गया तब पता चला ही उसकी भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज करने के आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से आ चुके है। जबकि माननीय सिविल न्यायालय महानगर मजि0 कम संख्या 18 सांगानेर से दिनांक 14.09.2023 को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश था एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा भी दिनांक 22.01.2025 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अपीलांट द्वारा विवेच्य उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के आदेश

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

दिनांक 06.06.2025 के विरूद्ध दिनांक 08.07.2025 को अपील पेश की गयी जिसमें दिनांक 10.07.2025 को अपीलाधीन निर्णय की कियान्विति स्थगित रखी जाकर विवादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमा दिये जिसकी प्रति दिनांक 10.07.2025 को रेस्पाडेन्ट को रेस्पाडेन्ट को उनके कार्यालय में दी गयी थी। इसके बावजूद तीन स्थगन आदेशों को दरकिनार करते हुए रेस्पाडेन्ट ने बैक डेट में अपीलांट की कब्जेशुदा, काश्तकारी आराजीयात को सरकारी सिवाय चक दर्ज कर अलौच्य नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 02.07.2025 तस्दीक कर दिया जिससे व्यथित होकर माननीय न्यायालय हाजा में अपील पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को स्थगन आदेशो की प्रति उपलब्ध करवाये जाने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पक्षकारो के मध्य कई प्रकार से लिटीगेशन पेन्डिंग है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार से किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के आदेश की अपील विचाराधीन होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांट को हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य से मिलीभगत करके खोला गया है जिसे खारिज करना आवश्यक एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 02.07.2025 वाके ग्राम बाढ श्योपुर, तहसील सांगानेर निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 142 वाके ग्राम बाढ श्योपुर, तहसील सांगानेर पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के आधार पर दिनांक 02.07.2025 को दर्ज किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिनांक 03.07.2025 को नामान्तकरण संख्या 142 तस्दीक किया गया। विचाराधीन प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन आराजीयत के संबंध में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में पेश किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा प्रकरण संख्या 236/2025 बउनवानी सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर बनाम गोविन्दराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2025 द्वारा तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी अधिकार समाप्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 06.06.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन आराजीयात पर स्थगन आदेश होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। यदि अपीलाधीन आराजीयात पर सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश रहा है तो अपीलांट संबंधित न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया। यदि अपीलांट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के आदेश दिनांक 06.06.2025 से असंतुष्ट है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोई द्वारा ही अनुतोष प्राप्त हो सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) सांगानेर के आदेश दिनांक 06.06.2025 के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर